कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जबलपुर (म.प्र.)

—: आदेश :—

165
क्र.—क्यू/एक—9—3/2001 (S.W.) **जबलपुर दिनांक** 30.12.2023

मैं, **आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश जबलपुर** पूर्व में इस संबंध में पारित समस्त आदेश निरस्त करते हुये, धारा 10(3) दंड प्रक्रिया संहिता में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह आदेश पारित करता हूं कि, मेरे किसी भी तरह के अवकाश अथवा दौरे पर रहने के फलस्वरूप मेरी अनुपस्थिति की दशा में जबलपुर सत्र संभाग के क्षेत्राधिकार से उत्पन्न होने वाले ऐसे **आपराधिक प्रकरण** जो केवल सेशन न्यायालय द्वारा सुनवाई योग्य है, से संबंधित जमानत एवं अन्य आवेदन पत्रों को निराकृत किये जाने हेतु निम्नानुसार सारणी के कॉलम नंबर 3 में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को अधिकृत करता हूँ, किंतु यदि उक्त तिथि में कॉलम नंबर 3 में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी भी किसी कारणवश अनुपस्थित हो तो कॉलम नंबर 4 में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी को आपराधिक प्रकरणों से संबंधित अत्यावश्यक कार्य एवं अत्यावश्यक आवेदन पत्रों का निराकरण क्रमानुसार उपलब्धता के आधार पर किए जाने हेतु अधिकृत करता हूँ।

—: सारणी :—

आपराधिक प्रकरणों संबंधी

क्र	न्यायालय का पदनाम	न्यायालय का पदनाम जिसके पीठासीन अधिकारी कार्य करने हेतु अधिकृत रहेगें।	न्यायालय के पदनाम जो कॉलम नं0—(3) में वर्णित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के अनुपस्थित रहने पर क्रमानुसार उपलब्धता के आधार पर कॉलम नं0—(2) के न्यायालय का कार्य करने हेतु अधिकृत रहेगें।	
1	2	3	4	
1	सेशन न्यायाधीश, जबलपुर	विशेष न्यायाधीश (एस.सी./एस.टी.), जबलपुर	1	तेरहवां एएसजे जबलपुर
			2	पन्द्रहवां एएसजे, जबलपुर
			3	सोलहवां एएसजे, जबलपुर
			4	तृतीय एएसजे, जबलपुर

नोटः— यदि यह स्थिति निर्मित होती है कि संबंधित न्यायालय के समक्ष सारणी के कॉलम नंबर 3 एवं 4 में उल्लेखित न्यायालय के पीठासीन अधिकारी उक्त तिथि में अनुपस्थित रहते हैं तो इस दशा में जबलपुर मुख्यालय में जो वरिष्ठताक्रम में अपर सेशन न्यायाधीश उपलब्ध रहेगें उनके द्वारा उपरोक्त आपराधिक प्रकरणों का अत्यावश्यक कार्य का निराकरण किया जावेगा।

प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश
जबलपुर